अनुसूचित जातियों में व्यवसायिक गतिशीलता

डॉ0 प्रमिला कुमारी*

भारत एक कल्याणकारी राष्ट्र है जो सामान्य रूप से अपने सभी लोगों और विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धान्त मूलभूत अधिकार और विशिष्ट धारायें जैसे अनुच्छेद 38, 39 और 46 लोगों के कल्याण के प्रति राष्ट्र के प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

कल्याण का अर्थ दान या धर्म आदि से नहीं है। आरम्भ में कल्याण कार्यक्रमों का उद्देश्य कुछ बुनियादी सुविधायें और पुनर्वास सेवायें उपलब्ध कराना था। पिछड़े कई वर्षों से कल्याण कार्यक्रमों को विकासोन्मुखी बनाया गया है। आज इन कार्यक्रमों के तहत शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों, वृद्धजनों, मादक पदार्थों और औषधियों के सेवन के शिकार व्यक्तियों, कुसमायोजित लोगों, अनुसूचित जातियों को विकासात्मक और पुनर्वास सेवायें प्रदान की जा रही है।

कल्याण योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बंटी हुई है। केन्द्र की जिम्मेदारी है कि वह कल्याण नीतियों और कार्यक्रमों को बनाये और इसके अतिरिक्त राज्यों के कल्याण योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करें तथा उन्हें मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दें। कल्याण मंत्रालय के कार्य चलाने के कई ब्यूरों में अनुसूचित जातियों के व्यवसायिक विकास करना तथा इससे उनका सामाजिक उत्थान करना है।

आर्थिक विकास के लिए औद्योगीकरण आवश्यक है। औद्योगिक विकास करना इसलिए सभी देशों का सर्वप्रमुख उद्देश्य है। औद्योगिक विकास के अनेक सामाजिक परिणाम है। व्यवसायिक गतिशीलता उनमें से एक है। जैसे–जैसे सभी समाजों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है, वैसे–वैसे उन समाजों में व्यवसायिक गतिशीलता भी बढ़ रही है। व्यवसायिक गतिशीलता सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है जिसके कारण समाज के सभी पहलू प्रभावित होते हैं।

भारत में व्यवसायिक गतिशीलता का कारण अधिकांश लोगों का कृषि पर आश्रित होना है। जैसे–जैसे कृषि करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे–वैसे भूमि का विभाजन स्वाभाविक होता जाता है। लोगों की सामाजिक तथा

***एम.ए., पीएचडी. (समाजशास्त्र) पता– ओम साई कॉलोनी (नजदीक आर.पी.एस महिला कॉलेज) पटना**

आर्थिक स्थिति गिरती जाती है, परिणामस्वरूप लोग अन्य व्यवसायों को अपनाने के लिए भागते हैं। यही स्थिति व्यवसायिक गतिशीलता को जन्म देती है। व्यवसायिक गतिशीलता एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग समाज में एक पेशे से दूसरे पेशे को स्वीकार करते हैं। यह स्थिति एक विशिष्ट सोपानात्मक मूल्य को व्यक्त करता है जिसे सामान्यतया सभी स्वीकार करते हैं।

व्यवसायिक गतिशीलता 20वीं शताब्दी की विशेषण थी। अब 21वीं सदी में यह और जोर पकड़ लेगी ऐसी आशा की जाती है 'स्थिर' समाजों में जहां पेशा वंशानुगत होता था, अब व्यवसायिक गतिशीलता देखने को मिल रही है। प्रत्येक जाति के लोग अब लाभ के आधार पर पेशों का चुनाव करने लगे हैं। व्यवसायिक निषेध की बात अब किसी भी जाति का व्यक्ति नहीं करता है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कारण अब सभी जाति तथा सभी धर्म के लोग अपनी–अपनी इच्छा, अर्जित गुण तथा लाभ के आधार पर पेशों का चुनाव कर रहे हैं।

व्यवसायिक गतिशीलता आधुनिकीकरण को तभी जन्म दे सकती है, जब लोगों के पेशों में सुधार के कारण उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार हो। लोग अपने परम्परागत पेशे को तभी छोड़ रहे हैं जब उन्हें यह आभास हो जाता है कि इससे उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

जब हम सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन करते हैं तो हम व्यक्तियों की गतिशीलता जो एक पद से दूसरे पद में चाहे वह उफंचा हो अथवा नीचा, का भी अध्ययन करते हैं जो सामाजिक व्यवस्था में घटित होता है।

व्यवसायिक गतिशीलता के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति में राजनीतिक दृष्टिकोण में, नामकरण में, मित्रमंडली में तथा धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन होता है।

आज वर्तमान समय में सभी जातियों ने अपने व्यवसाय में परिवर्तन किया है। इसके लिए चाहे प्राकृतिक कारण हो या सामाजिक या संवैधानिक कारण या हमारे सभ्यता संस्कृति में परिवर्तन हो या पश्चिमीकरण का प्रभाव हो सभी जातियों ने अपने परम्परागत व्यवसाय को परित्याग किया है। वर्तमान समय में अगर हम धोबी जाति का व्यवसाय का चुनाव करें तो इस जाति का भी इस व्यवसाय पर एकाधिकार नहीं रहा है। धोबी का परम्परागत व्यवसाय कपड़े का धुलाई करना है। आज के आधुनिक पीढ़ी के लोग इस व्यवसाय से दूर हटकर अपना अलग व्यवसाय का चयन कर रहे हैं। आज धोबी जाति की शिक्षित महिलायें हों या पुरूष उन्हें लगता है कि कपड़ा धोने से आर्थिक उन्नति नहीं हो सकता तो यह जाति अब कपड़ा धोने के साथ अन्य व्यवसाय भी करने लगी है और इस जाति का जातीय व्यवसाय भी अन्य जातियों ने छीन लिया है।

मुसहर जाति का कोई खास जातीय व्यवसाय नहीं है फिर यह अपना प्रतिपालन के लिए नदी तालाब तथा अन्य जगहों से घोंघा तथा शीप को एकत्र करना तथा उसका मांस खाना एवं उसके छिलका को सफाई करके उसको बेचकर अपना आर्थिक उपार्जन करना है या आज जो भी ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ परिवार इस व्यवसाय में लगी हुई है। कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त करके उच्च पदों पर कार्यरत

है। इस क्षेत्र में मुसहर जाति की शिक्षित महिलायें भी हैं जो न केवल सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरी कर रही है, बल्कि उद्योगों, कारखानों में भी कार्य कर रही है तथा अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्नशील है।

चमार जाति का परम्परागत पेशा था चमड़े का सफाई करना, मरे हुए जानवरों का खाल उतारना तथा उसका मांस खाना आदि। किन्तु अब इस जाति के शिक्षित परिवारों के परम्परागत व्यवसाय में भी परिवर्तन हुआ है। चमार जाति की शिक्षित महिलायें अपने परम्परागत व्यवसाय को त्याग चुकी हैं। इस जाति की महिलाओं में शिक्षा का प्रसार हुआ है। फलस्वरूप शिक्षा प्राप्त कर वे विभिन्न पदों पर कार्य कर रही हैं जिससे उनमें व्यवसायिक गतिशीलता उत्पन्न हुई है तथा परम्परागत व्यवसाय के प्रति उनका कोई लगाव नहीं रह गया है।

दुसाध जातियों का कोई जातिगत पेशा नहीं है फिर भी यह जाति अपने को परिवर्तन के इस दौर में परिवर्तित कर रहा है। आज यह जाति नये–नये व्यवसाय कर रही है। जहां तक इस जाति की शिक्षित महिलाओं का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि दुसाध जाति की महिलायें भी उच्च शिक्षा प्राप्त करके सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं, विभिन्न तरह के आधुनिक व्यवसाय भी कर रही हैं। फलस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। इस जाति की शिक्षित महिलायें आधुनिक समाज के उच्च जाति की महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। अनुसूचित जाति की शिक्षित महिलाओं के खान–पान, पहनावा, ओढ़ावा, रहन–सहन में परिवर्तन आया है। आरक्षण मिलने के कारण भी पढ़ाई–लिखाई में आरक्षण तथा नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिला है। इससे इस जाति में व्यवसायिक परिवर्तन हुआ है तथा आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

अनुसूचित जातियों में पासी जाति भी एक है। पासी जाति का परम्परागत व्यवसाय ताड़ी का काम करना, चटाई बनाना आदि रहा है। लेकिन यह एक ऐसा व्यवसाय है जिससे आर्थिक उन्नति की आशा नहीं की जा सकती। वर्तमान समय में विभिन्न कारकों एवं प्रक्रियाओं जैसे औद्योगीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, शिक्षा, यातायात एवं संचार के विकसित साधनों, आरक्षण, पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण आदि के कारण इस जाति में नयी चेतना एवं जागरूकता उत्पन्न हुई है। परिणामस्वरूप इस जाति के लोगों का भी ध्यान शिक्षा की ओर आकृष्ट हुआ है तथा वे अपने लड़के–लड़कियों की शिक्षा की ओर आकर्षित हुए हैं। इस जाति में आज अनेक ऐसी शिक्षित महिलायें देखने को मिलती हैं जो उफंचे पदों पर कार्यरत हैं। शिक्षिका, डाक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, नर्स, मजिस्ट्रेट, आदि के रूप में अपनी सेवायें दे रही हैं। इन बातों से ज्ञात होता है कि पासी जाति में पहले महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत लगभग नाम मात्र का हुआ करता था। आज उनमें शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा है। फलस्वरूप इस जाति की महिलाओं में व्यवसायिक गतिशीलता उत्पन्न होने के कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है।

लिपसेट तथा बेनडिक्स ने लिखा है कि, सामान्य शब्दों में एक व्यक्ति जो अपनी व्यवसायिक प्रस्थिति को बढ़ाता है वह साधारणतया अपनी सामाजिक

प्रस्थिति को बढ़ाने का प्रयास करता है लेकिन अगर व्यवसायिक प्रस्थिति गिरी या कम हुई तो वह व्यक्ति अपने पहले जैसी सामाजिक स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करता है। सामाजिक प्रस्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव व्यवसायात्मक विकास पर पड़ सकता है, उसी प्रकार व्यवसायात्मक प्रस्थिति सामाजिक प्रस्थिति में सुधार के लिए जिम्मेदार हो सकती है।

वर्तमान समय में सभी जातियों के पास अपना निजी भूमि है, मकान है तथा चढ़ने के लिए निजी गाड़ी है। आज उपरोक्त सभी जातियों के शिक्षित परिवारों ने अपना व्यवसायिक परिवर्तन किया है। बहुत कम ऐसे अनुसूचित जाति के परिवार हैं जो परम्परागत व्यवसाय को कर रहे हैं लेकिन वे भी अपने व्यवसाय से संतुष्ट नहीं हैं तथा वे भी व्यवसाय परिवर्तन की आकांक्षा रखते हैं।

उपरोक्त विवरण से यह संकेत मिलता है कि अनुसूचित जातियों के शिक्षित महिलाओं में व्यवसायिक गतिशीलता उत्पन्न हुई है जिसके फलस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव हुआ है।

अनुसूचित जातियों के शिक्षित सदस्य जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम से परिचित है। यही कारण है कि इनके समाधाान के लिए परिवार नियोजन के साधानों के उपयोग कर रहे हैं।

अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं से व्यवसाय गतिशीलता को ज्ञात करने के उद्देश्य से अनेक प्रश्न पूछे गए तथा उनसे तथ्य प्राप्त किए गए। अध्ययन से ज्ञात होता है कि 200 उत्तरदाताओं में से 70 अर्थात् 35 प्रतिशत उत्तरदाता नौकरी करते हैं, सभी उत्तरदाता नौकरी करना चाहते हैं। उत्तरदाताओं ने कहा कि वर्तमान समय में व्यवसाय का चुनाव करना एक समस्या है। उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया कि परिवार से दूर रह कर धन कमाने में कोई रूकावट नहीं है, उत्तरदाताओं ने कहा कि वे अपने परम्परागत व्यवसाय से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वे आधुनिक व्यवसाय करना चाहते हैं। उत्तरदाताओं का मत था कि कुटिल उद्योग–धंधे बनाए रखा जाना चाहिए। उत्तरदाताओं ने कहा कि जैसे–जैसे उनके समुदाय में शिक्षा का विकास होता जा रहा है, वैसे–वैसे वे आधुनिक व्यवसाय के ओर अग्रसर हो रहे हैं, आज इसे समुदाय के लोग शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, मजिस्ट्रेट, जज, कलाकार तथा लगभग प्रशासनिक सेवा के सभी पदों पर आसीन हैं और उनके पूर्वज जो व्यवसाय करते थे। वर्तमान पीढ़ी के शिक्षित लोग लगभग उस व्यवसाय को छोड़ चुके हैं। अर्थात् व्यवसाय गतिशीलता उनमें उत्पन्न हुई है।

संदर्भ सूची :

1. गुन्नर मिर्डाल : द चाइलेंजेज ऑफ वर्ल्ड पॉवरटी, पृ.381
2. एस.एम. लिप्सेट एवं आर बेनडिक्सः मोबीलिटी इन इंडस्ट्रीयल सोसायटी, पृ2
3. वही, पृ.1
4. वही, ओपी.सीट, पृ.6